09.04.19

हिम्मताराम बनाम मनीराम

अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

प्रस्तुत प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा दिनांक 31–07–2015 को अपीलांट/वादी का वाद समन तलबाना पेश नहीं करने पर आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के प्रावधानों के तहत खारिज किया गया है। इस संबंध में अपीलांट का कथन है कि अपीलांट/वादी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत वादपत्र में कानूनी बिन्दु व गुणावगुण पर निस्तारण नहीं करते हुए मात्र तकनीकी बिन्दु का सहारा लेते हुए वादपत्र खारिज किया गया है। अपीलांट/वादी अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर अधिनस्थ न्यायालय के आदेशों की पालना करने हेतु बाध्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रकरण पुनः अधिनस्थ न्यायालय को लौटाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/वादी का वाद कई वर्षो तक न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं किये जाने तथा वादपत्र में रूचि नहीं लेने तथा समन प्रस्तुत नहीं किये जाने के अभाव में आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के प्रावधानों के तहत खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का वाद खारिज करने में कोई कानूनी त्रूटि नहीं है। प्रकरण यदि अधिनस्थ न्यायालय को लौटाया भी जाता है तो अपीलांट/वादी पर नियमानुसार कॉस्ट लगाई जावे ताकि भविष्य इस प्रकार की पुनरावर्ति नहीं हो।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

वादी/अपीलांट को प्रतिवादी की तलबी हेतु समन पेश करने के लिये बार–बार निर्देश दिये जाने पर आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत वाद खारिज किया गया है। परीक्षण न्यायालय की आदेशिका से स्पष्ट है कि वादी/अपीलांट्स द्वारा न्यायालय के निर्देशों की पालना में समन पेश करने में लापरवाही बरती गई है, परन्तु वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों के मद्देनजर वादीगण को सुनवाई का अवसर दिये जाने पर रिकार्ड की त्रूटि में सुधार की गुंजाईश है। केवल तकनीकी आधार पर वाद को खारिज किये जाने से वादी को अपूरणीय क्षति की संभावना है।

Scanned by CamScanner